पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

द्वितीय-तल, विकास भवन, पुरानी जेल के सामने, अरेरा हिल्स भोपाल
(E-mail address : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक पं.रा/F- /IT/2025 / 5944 भोपाल, दिनांक 25.03.2025

प्रति,

1. कलेक्टर ,
   जिला समस्त, म.प्र.।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला एवं जनपद पंचायत, समस्त, म.प्र.।

विषयः– ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से संपादित करने बाबत्।

संदर्भः- राजस्व विभाग के राजपत्र दिनांक 13.01.2023

-o-

कृपया संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकाशित निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों को काटे जाने के लिए **पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है।**

निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलॉईन संपादित की जाएगी। दिनांक 01.04.2025 से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाईन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से पंचायत के पदाधिकारीयों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को संक्षिप्त में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करें।

(छोटे सिंह)
संचालक सह-आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय

पृ.क्रमांक/पं.रा/F- /IT/2025 / 5945 भोपाल, दिनांक 25. 03.2025

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, सतपुडा भवन, भोपाल म.प्र.।
6. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर, म.प्र.।
7. संचालक, संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, पचमढ़ी, म.प्र.।
8. आई.टी. शाखा, पंचायत राज संचालनालय, की ओर पंचायत दर्पण पोर्टल पर निर्देश अपलोड हेतु।

संचालक सह-आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय